JAGRAN

Josh

your guide to success

WWW.JAGRANJOSH.COM

# उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिवीजन) परीक्षा-2012

# लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिवीजन) परीक्षा-2012

**आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि: 1 मार्च, 2012, विज्ञापन संख्या-ए-2/ई-1/2012**

**महत्वपूर्ण : - इस परीक्षा के अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र के लिफ़ाफ़े पर परीक्षा का नाम बड़े अक्षरों में अवश्य अंकित करें !**

### आवश्यक सूचना

यह विज्ञापन आयोग के वेबसाइट **http://www.uppsc.org.in** पर भी उपलब्ध है।

**2.** अभ्यर्थी इस परीक्षा के ओ.एम.आर. आवेदन पत्र क्रमांक–6 पर अंकित डाकघरों से क्रय कर सकते हैं। **PREGEN** सीरीज (सामान्य एवं अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु) के फार्म का मूल्य रूपये **155/-** (परीक्षा शुल्क **100/-**, डाक व्यय **30/-**आवेदन पत्र तथा बिक्री शुल्क **25/-**) **PRERES** सीरीज (उ0प्र0 के अनुसूचित जाति/उ0प्र0 के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु) के फार्म का मूल्य रूपये **95/-** (परीक्षा शुल्क **40/-**, डाक व्यय **30/-**, आवेदन पत्र तथा बिक्री शुल्क **25/-** है) अभ्यर्थियों को शुल्क हेतु अलग से कोई बैंक ड्राफ्ट अथवा ट्रेजरी चालान जमा नहीं करना होगा। उ0प्र0 के भूतपूर्व सैनिक, उ0प्र0 के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित एवं महिला अभ्यर्थी अपनी मुख्य श्रेणी यथा सामान्य, अ0जा0, अ0ज0जा0, अ0पि0व0 के अनुसार ही फार्म क्रय करेंगे। उ0प्र0 के बाहर के सभी अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी (**PREGEN**) का ही फार्म क्रय करें, आरक्षित श्रेणी का फार्म भरने पर निरस्त कर दिया जायेगा। फार्म क्रय किये जाने के बाद उसका मूल्य किसी भी दशा में वापस नहीं किया जायेगा। केवल कालबाधित फार्म मूल रूप से लौटाये जायेंगे परन्तु उसका मूल्य वापस नहीं होगा। अभ्यर्थी अपने ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र की फोटोस्टेट प्रति अपने पास रखें तथा भविष्य के पत्राचार में ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र के नम्बर का उल्लेख करें।

उ0प्र0 न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिवीजन) मुख्य परीक्षा में प्रवेश हेतु आयोग **1.** आगरा, **2.** इलाहाबाद, **3.** बरेली, **4.** गोरखपुर, **5.** झाँसी, **6.** लखनऊ, **7.** मेरठ, **8.** सहारनपुर और **9.** वाराणसी, जिलों के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर **13 मई, 2012 को एक प्रारम्भिक परीक्षा का आयोजन करेंगे।** परीक्षा की तिथि तथा केन्द्र की सूचना अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र द्वारा पृथक से भी दी जायेगी।

**2. रिक्तियाँ:** रिक्तियों की संख्या **76** है। इनमें सभी पद अस्थायी हैं।

| ऊर्ध्वाधर | क्षैतिज |
|---|---|
| सामान्य वर्ग के लिए–38 | स्व. संग्राम सेनानी के आश्रित – 02 |
| ओ.बी.सी. – 20 | |
| अनु. जाति – 16 | महिला – 15 |
| अनु. जनजाति – 02 | |

**नोटः– 1.** आरक्षण का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी सम्बन्धित आरक्षित श्रेणी/उपश्रेणी के समर्थन में इस विज्ञापन के परिशिष्ट–3 में मुद्रित निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें एवं जब उनसे अपेक्षा की जाय तब वे उसे आयोग को प्रस्तुत करें। **2.** आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी ओ.एम.आर. आवेदन पत्र में अपनी श्रेणी/उपश्रेणी अवश्य अंकित करें। **3.** एक से अधिक आरक्षित श्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट जो अधिक लाभकारी हो दी जायेगी। **4.** अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित एवं महिला अभ्यर्थी जो उ0प्र0 राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी के लिए निर्धारित PREGEN फार्म भरें।

**3. वेतनमान:** रू0 27700–770–35090–920–40450–1080–44770

**4. शैक्षिक अर्हता: (क)** आवेदन पत्र प्राप्त होने की अन्तिम तिथि तक उ0प्र0 में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से या राज्यपाल द्वारा इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त भारत के किसी अन्य विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक उपाधि होना आवश्यक है, अथवा **(ख)** अधिवक्ता अधिनियम 1961 के उपबन्धों के अधीन नामांकित कोई अधिवक्ता या इंग्लैण्ड या नार्दन आयरलैण्ड का कोई बैरिस्टर या स्काटलैण्ड में अधिवक्ताओं के संकाय का कोई सदस्य और न्यायालय या उसके अधीनस्थ न्यायालय में व्यवसाय करने का हकदार होना आवश्यक है, **(ग)** देवनागरी लिपि में हिन्दी का अच्छा ज्ञान आवश्यक है।

**5. आयु सीमा:** अभ्यर्थियों को **01 जुलाई 2013** को 22 वर्ष की आयु अवश्य पूरी करनी चाहिए तथा 35 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए अर्थात उनका जन्म 02 जुलाई 1978 से पूर्व तथा 01 जुलाई 1991 के बाद का नहीं होना चाहिए। परन्तु उ0प्र0 के अनुसूचित जाति, उ0प्र0 के अनुसूचित जनजाति एवं उ0प्र0 के अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आयु पांच वर्ष अधिक होगी। इसी प्रकार उ0प्र0 के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों तथा उ0प्र0 के भूतपूर्व सैनिकों हेतु भी आयु सीमा पांच वर्ष अधिक होगी। **परन्तु यह और कि जो अभ्यर्थी परीक्षा वर्ष 2007, 2008, 2009, 2010, एवं 2011 की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आयु में पात्र थे उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने का पात्र समझा जायेगा। परीक्षा में सम्मिलित होने के अवसरों की संख्या अधिकतम चार है।**

शासनादेश सं. 17/2/1981 कार्मिक–2 दिनांक 28 फरवरी, 1985 के प्राविधानों के अनुसार सेना के आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालीन सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों सहित, भूतपूर्व सैनिकों तथा कमीशन प्राप्त उन अधिकारियों को, जिन्होंने सेना में कम से कम पांच वर्ष की सेवा कर ली हो, निर्धारित अधिकतम आयु सीमा से अधिकतम पांच वर्ष तक की छूट सेवाकाल को आधार मानकर दी जायेगी। यह छूट उन्हें अनुमन्य नहीं होगी। जो (1) कदाचार अथवा अकुशलता के कारण बर्खास्त हुए हों (2) सेना की सेवा में अवगुण समझी जाने वाली शारीरिक अयोग्यता अथवा अशक्तता के कारण सेवा मुक्त हुए हों।

शासनादेश संख्या–22/21/1983–कार्मिक–2, दिनांक 28/11/1985 के अनुसार राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष अधिक होगी जो उ0प्र0 के मूल निवासी हैं।

**6. डाकघरों की सूची:** आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद एच.ओ., इलाहाबाद कचहरी, इलाहाबाद कैवेलरी लाइन्स, इलाहाबाद (दारागंज), इलाहाबाद सिटी, अम्बेडकर नगर (अकबरपुर), औरेया, आजमगढ़, बदायुँ, बागपत, बहराइच, बलरामपुर, बलिया, बांदा, बाराबंकी, बरेली, बस्ती (बांसी), बिजनौर, बुलंदशहर, चन्दौली, चित्रकूट (कर्वी), देवरिया, एटा, इटावा, फैजाबाद, फर्रूखाबाद (फतेहगढ़), फतेहपुर, फिरोजाबाद, गौतमबुद्धनगर (नोएडा), गाजियाबाद, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, हमीरपुर, हरदोई, हाथरस, जालौन (उरई), जौनपुर, झांसी, ज्योतिबाफुलेनगर (अमरोहा), कन्नौज, कानपुर जी.पी.ओ., कानपुर कैंट, कानपुर नवाबगंज, कौशांबी (मंझनपुर), कुशीनगर (पडरौना), लखीमपुर खीरी, ललितपुर, लखनऊ जी.पी.ओ., लखनऊ (चौक), महाराजगंज, महोबा, मैनपुरी, मथुरा, मऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, संतकबीरनगर (खलीलाबाद), संतरविदास नगर (भदोही), शाहजहांपुर, श्रावस्ती (भिनगा), सिद्धार्थनगर (टिटरी बाजार), सीतापुर, सोनभद्र (राबर्ट्सगंज), सुल्तानपुर, उन्नाव, वाराणसी एच.क्यू, वाराणसी कैंट।

**7. महत्वपूर्ण निर्देश:**

**(1)** सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन पत्र सचिव, **विज्ञापन संख्या–ए–2/ई–1/2012** लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 इलाहाबाद–211018 को दिनांक **01 मार्च, 2012 को अपरान्ह 5:00 बजे तक** अथवा उससे पूर्व रजिस्टर्ड डाक द्वारा अथवा हाथों–हाथ पहुँच जाने चाहिए। इस तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्र किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किए जायेंगे। हाथों–हाथ आवेदन पत्र जमा करने पर काउन्टर से रसीद अवश्य प्राप्त करें।

**(2)** एक लिफाफे में एक से अधिक अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र होने अथवा एक लिफाफे में एक से अधिक विज्ञापनों के आवेदन पत्र होने अथवा अभ्यर्थी द्वारा अपने ही नाम से एक से अधिक आवेदन पत्र जमा किए जाने पर सभी आवेदन पत्रों को अस्वीकृत कर दिया जायेगा। फैक्स द्वारा आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

**(3)** किसी भी प्रकार से अपूर्ण एवं अहस्ताक्षरित आवेदन पत्र समयान्तर्गत होने के बावजूद सरसरी तौर पर अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।

**(4)** आपात कमीशन प्राप्त/अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारी जो सेना से अवमुक्त नहीं हुए हैं, किन्तु जिनकी सैन्य सेवा में पुनर्वास के लिए वृद्धि की गयी है, भी इस परीक्षा के लिए शासनादेश संख्या–22/10/1976–का–2–85, दिनांक 30–01–85 के अनुसार निम्नलिखित शर्तों पर आवेदन कर सकते हैं:–

**(ए)** आवेदकों को सेना, नौसेना, वायुसेना के सक्षम प्राधिकारी का इस सम्बन्ध में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनकी सेवा अवधि पुनर्वास के लिए बढ़ाई गयी है तथा उनके विरूद्ध कोई कार्यवाही लम्बित नहीं है।

**(बी)** आवेदकों को अपने आवेदन पत्र के साथ यह लिखित अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करना होगा कि आवेदित पद के लिए चुन लिए जाने पर वे अपने को सैन्य सेवा से तुरन्त अवमुक्त करा लेंगे। आपातकालीन/अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को यह सुविधा अनुमन्य नहीं होगी यदि **(अ)** उन्हें सेना में स्थायी कमीशन प्राप्त हो गया है। **(ब)** वह त्यागपत्र देकर सैन्य सेवा से अवमुक्त हुआ हो **(स)** वह सैन्य सेवा में कदाचार के कारण अवमुक्त हुए हों।

**(5) चरित्र:–** सेवा में भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह राज्यपाल की राय में सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सकें। संघ सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा से पदच्युत या भारतीय या किसी राज्य विधिज्ञ परिषद द्वारा अधिवक्ता के रूप में व्यवसाय से विवर्जित किया गया या नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए भारतीय दंड संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध और कारावास के लिए दंडादिष्ट कोई व्यक्ति सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

**(6) वैवाहिक प्रास्थिति:–** सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होंगी जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक जीवित पत्नी हो।

**(7) शारीरिक स्वस्थता:–** किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से युक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो। किसी अभ्यर्थी की नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने से पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी की वह किसी चिकित्सा बोर्ड द्वारा कोई परीक्षा उत्तीर्ण करे।

**(8)** केवल वही अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा (लिखित परीक्षा) के लिए आहूत किये जायेंगे, जो प्रारम्भिक परीक्षा के आधार पर आयोग द्वारा एतदर्थ निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त करेंगे। उन्हें मुख्य परीक्षा हेतु आयोग द्वारा भेजे गए निर्धारित आवेदन पत्रादि भरने होंगे तथा मुख्य परीक्षा के लिए शुल्क भी जमा करना होगा।

**(9)** साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी को अपने सभी मूल प्रमाणपत्र, राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित दो फोटो, एक सादा फोटो तथा अन्य वांछित अभिलेख प्रस्तुत करने होंगे।

**(10)** केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन कार्यरत अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय सेवायोजक का अनापत्ति प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

**(11)** आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के संबंध में कोई परामर्श नहीं देते हैं। इसलिए अभ्यर्थी विज्ञापन को सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और तभी आवेदन करें जब वे संतुष्ट हों कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं। उन्हें विज्ञापन के परिशिष्ट–2 में अंकित पाठ्यक्रम का अध्ययन सावधानी से कर लेना चाहिए। अधिवयस्क, अल्पवयस्क तथा अनर्ह होने अथवा नियमों, प्रक्रिया आदि के उल्लंघन के कारण अस्वीकृत किए जाने वाले आवेदन पत्रों के मामले में कोई शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

**(12)** आयोग आवेदन पत्रों की सरसरी जांचकर अभ्यर्थियों को औपबन्धिक प्रवेश दे सकते हैं, किन्तु बाद में किसी भी स्तर पर यह पाए जाने पर कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा उसका आवेदन पत्र स्वीकार करने योग्य नहीं था अथवा वह प्रारम्भिक स्तर पर ही अस्वीकार किया जाना चाहिए था, उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा तथा यदि पद हेतु चुन लिया गया है तो भी आयोग अपनी संस्तुतियाँ वापस ले सकते हैं।

**(13)** कदाशय अर्थात परीक्षा भवन में नकल करने, अनुशासनहीनता, दुर्व्यवहार अथवा अपने अभ्यर्थन के सम्बन्ध में समर्थन प्राप्त करने में लिप्त अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन निरस्त करने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित है।

**(14)** मुख्य परीक्षा (लिखित परीक्षा) में सफल अभ्यर्थियों को व्यक्तित्व परीक्षा (साक्षात्कार) में सम्मिलित होना अनिवार्य है।

**(15)** यदि अभ्यर्थी के पते में कोई परिवर्तन होता है तो उसे तत्परता से आयोग को रजिस्टर्ड डाक द्वारा सूचित किया जाना चाहिए। आयोग से सभी पत्राचार में परीक्षा का नाम, विज्ञापन संख्या, अभ्यर्थी का नाम, जन्मतिथि तथा अनुक्रमांक (यदि सूचित किया गया हो) का उल्लेख अवश्य होना चाहिए।

**(16)** मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार प्रा0 परीक्षा में 1:10 के अनुपात में अभ्यर्थी सफल घोषित किये जायेंगे और साक्षात्कार हेतु 1:3 के अनुपात में सफल घोषित किये जायेंगे।

**(17)** किसी अभ्यर्थी द्वारा ऐसी सूचना दिये जाने पर, जो प्रमाण पत्रों के आधार पर सिद्ध न हो सके, उसे अगले पाँच वर्षों के लिए प्रतिवारित किया जा सकता है।

**(18)** आवेदन पत्रों की प्राप्ति के पश्चात आवेदन पत्रों में कोई परिवर्तन संभव नहीं है।

**(19)** यदि आवेदन पत्र की फोटो तथा उपस्थिति पत्रक की फोटो में भिन्नता होगी तो अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

---

## परिशिष्ट–1
## परीक्षा की योजना

प्रतियोगिता परीक्षा में क्रमशः तीन चरण होंगे यथा: **(1)** प्रारम्भिक परीक्षा (वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय प्रकार की) **(2)** मुख्य परीक्षा (परम्परागत प्रकार की अर्थात् लिखित परीक्षा) एवं **(3)** मौखिक परीक्षा (व्यक्तित्व परीक्षा)।

## परिशिष्ट–2

उ0प्र0 न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिवीजन) प्रारम्भिक परीक्षा का पाठ्यक्रम

**प्रश्न पत्र–प्रथम** **समयः 2 घंटे** **अंक–150**

### सामान्य ज्ञान

इस प्रश्न पत्र में भारत का इतिहास और भारतीय संस्कृति, भारत का भूगोल, भारतीय राजनीति, वर्तमान राष्ट्रीय मामले और सामाजिक सुसंगति के विषय, भारत और विश्व, भारतीय अर्थशास्त्र, अन्तर्राष्ट्रीय मामले और संस्थाएं और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संचार एवं अंतरिक्ष के क्षेत्र में विकास पर आधारित प्रश्न सम्मिलित हो सकते हैं।

इन प्रश्न–पत्रों में प्रश्नों की प्रकृति और स्तर ऐसा होगा कि एक सुशिक्षित व्यक्ति बिना किसी विशिष्ट अध्ययन के उनके उत्तर दे सकने में सक्षम होगा।

**प्रश्न पत्र–द्वितीय** **समयः 2 घंटे** **अंक–300**

### विधि

इस प्रश्न पत्र में भारत में तथा विश्व में विशेष रूप से विधिक क्षेत्र में हो रही प्रतिदिन की घटनाएं, अधिनियम एवं विधियों पर आधारित प्रश्न सम्मिलित हो सकते हैं।
(i) विधि शास्त्र (ii) अन्तर्राष्ट्रीय संगठन (iii) वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय प्रकरण (iv) भारतीय संविधान (v) सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम (vi) भारतीय साक्ष्य अधिनियम (vii) भारतीय दंड संहिता (viii) सिविल प्रक्रिया संहिता (ix) आपराधिक प्रक्रिया संहिता (x) संविदा विधि

## उ0प्र0 न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिवीजन)
## मुख्य परीक्षा (लिखित परीक्षा) का पाठ्यक्रम

**प्रश्न पत्र संख्या–1** **सामान्य ज्ञान** **अंक : 200**

इस प्रश्न पत्र में भारत का इतिहास और भारतीय संस्कृति, भारत का भूगोल, भारतीय राजनीति, वर्तमान राष्ट्रीय मामले और सामाजिक सुसंगति के विषय भारत और विश्व भारतीय अर्थशास्त्र, अन्तर्राष्ट्रीय मामले और संस्थाएं और विज्ञान एवं प्रौधोगिकी, संचार एवं अंतरिक्ष के क्षेत्र में विकास पर आधारित प्रश्न सम्मिलित हो सकते हैं। इस प्रश्न पत्र में प्रश्नों की प्रकृति और स्तर ऐसा होगा कि एक सुशिक्षित व्यक्ति बिना किसी विशिष्ट अध्ययन के उनके उत्तर दे सकने में सक्षम होगा।

**प्रश्न पत्र संख्या–2 भाषा:**

यह प्रश्न पत्र 200 अंकों का होगा। इसमें नीचे विनिर्दिष्ट प्रकार से चार प्रश्न समाविष्ट होंगे।

| | |
|---|---|
| (1) अंग्रेजी में लिखित एक निबन्ध | 60 अंक |
| (2) अंग्रेजी में सार लेखन | 60 अंक |
| (3) हिन्दी से अंग्रेजी में परिच्छेद का अनुवाद | 40 अंक |
| (4) अंग्रेजी से हिन्दी में परिच्छेद का अनुवाद | 40 अंक |

**प्रश्न पत्र संख्या–3 विधि–1 (मौलिक विधि)**

यह प्रश्न पत्र 200 अंकों का होगा। दिये गये प्रश्न निम्नलिखित द्वारा आच्छादित क्षेत्र तक ही सीमित होंगे:–

संविदा विधि, साझेदारी विधि, सुविधा अधिकार और अपकृत्यों सम्बन्धी विधि सम्पत्ति के अंतरण से संबधित विधि जिसमें विशेषकर उस पर लागू साम्या के सिद्धान्त सम्मिलित होंगे। न्याय एवं विनिर्दिष्ट अनुतोश का विधि के विशेष संदर्भ में साम्या के सिद्धान्त, हिन्दू विधि और मुस्लिम विधि और संवैधानिक विधि।

50 अंकों के प्रश्न केवल संवैधानिक विधि के सम्बन्ध में होंगे।

**प्रश्न पत्र संख्या–4 विधि–2 (प्रक्रिया एवं साक्ष्य)**

यह प्रश्न पत्र 200 अंकों का होगा। दिये गये प्रश्न निम्नलिखित द्वारा आच्छादित क्षेत्र तक ही सीमित होंगे:–

साक्ष्य विधि, दण्ड प्रक्रिया–संहिता और अभिवचन के सिद्धान्तों को सम्मिलित करते हुए सिविल प्रक्रिया संहिता दिये गये प्रश्न मुख्यतया व्यावहारिक मामलों से सम्बन्धित होंगे, जैसे कि सामान्यत: आरोपों और वाद–बिन्दुओं की विरचना, गवाहों के साक्ष्यों के साथ व्यवहार की विधियां, निर्णयों का लेखन और वादों का संचालन, किन्तु उन्हीं तक सीमित नहीं होंगे।

**प्रश्न पत्र संख्या–5 विधि–3 (दाण्डिक, राजस्व और स्थानीय विधियाँ)**

यह प्रश्न पत्र 200 अंकों का होगा दिये गये प्रश्न निम्नलिखित द्वारा आच्छादित क्षेत्र तक सीमित होंगे:–

भारतीय दंड संहिता, उत्तर प्रदेश जमींदारी–विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1951, उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) अधिनियम, 1972, उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम 1953, उत्तर प्रदेश नगर (योजना और विकास) अधिनियम, 1973 उक्त अधिनियमों के अधीन बनाये गये नियमों के साथ।

स्थानीय विधियों के प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य होंगे। दाण्डिक विधियों से सम्बन्धित प्रश्न 50 अंकों के होंगे। जबकि राजस्व और स्थानीय विधियों के प्रश्न 150 अंकों के होंगे।

**6 साक्षात्कारः–**

**साक्षात्कार 100 अंकों का होगा**

उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में नियोजन के लिए अभ्यर्थी को उपयुक्तता का परीक्षण, उसकी क्षमता, चरित्र, व्यक्तित्व और शारीरिक सौष्ठव पर सम्यक, ध्यान देते हुए उसकी श्रेष्ठता के संदर्भ में किया जायेगा।

**स्पष्टीकरण–** अभ्यर्थी के लिए सामान्य ज्ञान और विधि प्रश्न पत्रों के उत्तर हिन्दी या अंग्रेजी में देने का विकल्प होगा।

**टिप्पणी– (1)** साक्षात्कार में प्राप्त किये गये अंकों को लिखित प्रश्न पत्रों में प्राप्त किये गये अंकों में जोड़ा जायेगा और अभ्यर्थी का स्थान दोनों के कुल योग पर निर्भर करेगा।

**(2)** आयोग किसी अभ्यर्थी को साक्षात्कार के लिए बुलाने से इन्कार करने का अधिकार सुरक्षित रखेगा जिसने विधि प्रश्न पत्रों में इतने अंक प्राप्त न किये हों, जो उसके द्वारा ऐसे इंकार को न्यायोचित ठहरायें।

---

## परिशिष्ट–3

### उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए जाति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी......................................सुपुत्र/सुपुत्री श्री...............................................निवासी ग्राम........................................................................ तहसील ................................................नगर ..................................................................... जिला......................................उत्तर प्रदेश राज्य की.......................................जाति के व्यक्ति है जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 (जैसा कि समय–समय पर संशोधित हुआ) संविधान (अनुसूचित जन जाति, उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के रूप में मान्यता दी गयी है। श्री/श्रीमती/कुमारी...............................................तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के.............................................ग्राम..............................तहसील................................ नगर..................................................जिला.................................में सामान्यता रहता है।

स्थान : ................................ हस्ताक्षर............................................................

दिनांक : ................................ पूरा नाम..........................................................

मुहर : ................................ पदनाम..............................................................

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/अन्य वेतनभोगी मजिस्ट्रेट यदि कोई हो/जिला समाज कल्याण अधिकारी

---

### उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.............................................सुपुत्र/सुपत्री श्री.......................................................निवासी ग्राम........................................................................ तहसील......................................नगर................................जिला............................................................ उत्तर प्रदेश राज्य की .......................................................पिछड़ी जाति के व्यक्ति हैं। यह जाति उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (यथा संशोधित) की अनुसूची–एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त हैं।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.......................................................
पूर्वोक्त अधिनियम, 1994(यथा संशोधित) की अनुसूची–2(जैसा की उत्तर प्रदेश लोक सेवा) (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधित की गयी है, से आच्छादित नही है इनके माता–पिता की निरन्तर तीन वर्ष की अवधि के लिए सकल वार्षिक आय पाँच लाख रुपये या इससे अधिक नही है। तथा इनके पास धनकर अधिनियम, 1957 में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पति भी नही है।

श्री/श्रीमती/कुमारी..........................................तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम...........................तहसील...........................नगर............................जिला में सामान्यता रहता है।

स्थान : ....................................... हस्ताक्षर...................................................................

दिनांक : ....................................... पूरा नाम...................................................................

मुहर : ....................................... पदनाम...................................................................

जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार

## उ0प्र0 के स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए प्रमाण–पत्र

**शासनादेश संख्या 4/3/1982–कार्मिक–2/1997, दिनांक 26 दिसम्बर, 1997**

**प्रमाण–पत्र**

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.................................निवासी........................ ग्राम ..............................तहसील............................नगर.......................जिला................................ उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण) अधिनियम 1993 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है और श्री/श्रीमती/कुमारी (आश्रित)............................................ पुत्र/पुत्री/पौत्र/पौत्री उपरांकित अधिनियम 1993 के ही प्रावधानों के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) .......................................................के आश्रित है।

स्थान ..........................................                हस्ताक्षर.............................................................

दिनांक.........................................                पूरा नाम.............................................................

पद नाम.............................................................

जिलाधिकारी......................................................

सील...................................................................

## कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण–पत्र जो उ0प्र0 के मूल निवासी हैं

**शासनादेश सं0–22/21/1983 कार्मिक–2**

दिनांक: 28 नवम्बर, 1985

**प्रमाण–पत्र के फार्म–1 से 4**

**प्रारूप–1**

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने देश की ओर से अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता मे भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिए)

संबंधित खेल की राष्ट्रीय फेडरेशन/राष्ट्रीय एसोसिएशन का नाम..........................................

राज्य सरकार की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण–पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी......................................आत्मज/पत्नी/ आत्मजा श्री..............................................निवासी............................................................... (पूरा पता).......................................................................ने दिनांक ........................................

तक.................................................(स्थान का नाम) में आयोजित ..................................... (क्रीड़ा/खेल–कूद का नाम) की प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में देश की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में............................................................ स्थान प्राप्त किया गया।

यह प्रमाण–पत्र राष्ट्रीय फेडरेशन/राष्ट्रीय एसोसिएशन/(यहाँ संस्था का नाम दिया जाये).....................................................................................................................में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान....................................................
दिनांक..........................................

हस्ताक्षर..................................................................
नाम..........................................................................
पद..............................................................................
संस्था का नाम........................................................
..........................................................................................
मुहर..........................................................................

**नोट**:– यह प्रमाण–पत्र, नेशनल फेडरेशन/एसोसिएशन के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

---

## प्रारूप–2

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने प्रदेश की ओर से राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिए) (सम्बन्धित खेल की प्रदेशीय एसोसिएशन का नाम)........................................ ........................राज्य सरकार की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण–पत्र।

प्रमाणित किया जाता है श्री/श्रीमती/कुमारी.......................................................................... आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री........................................निवासी (पूरा पता)...................................... ...................................ने दिनांक ...............................................से दिनांक...................................... तक ..................................................................में (क्रीड़ा/खेल–कूद का नाम) का प्रतियोगिता (टूर्नामेन्ट स्थान का नाम)..................................................................आयोजित राष्ट्रीय ............... .................................................................................................... में (क्रीड़ा/खेल–कूद का नाम) की प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में प्रदेश की ओर से भाग लिया।

उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में .................................................................. स्थान प्राप्त किया गया।

यह प्रमाण–पत्र.........................................................(प्रदेशीय संघ का नाम) में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान ..................................................
दिनांक...............................................

हस्ताक्षर..................................................................
नाम..........................................................................
पद..............................................................................
संस्था का नाम........................................................
पता...........................................................................
मुहर..........................................................................

**नोट**: यह प्रमाण–पत्र प्रदेशीय खेल–कूद संघ के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

---

## प्रारूप–3

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने विश्वविद्यालय की ओर से अन्तरविश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के लिए)

विश्वविद्यालय का नाम..........................................................................................................

राज्य स्तर की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाडियों के लिए प्रमाण–पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.................................................................................. आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री ..........................................निवासी (पूरा पता)........................................ .............................................................विश्वविद्यालय की कक्षा..................................................के विद्यार्थी ने दिनांक...............................................से दिनांक.............................................................. तक.................................................. (स्थान का नाम) में आयोजित अन्तरविश्वविद्यालय................. ............................................................ (क्रीड़ा/खेल–कूद का नाम) प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में...... ........................................................ विश्वविद्यालय की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में.......................................................................................स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण–पत्र डीन आफ स्पोर्टस अथवा इन्चार्ज खेल–कूद.................... .....................................................विश्वविद्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान ..................................................... हस्ताक्षर..............................................................

दिनांक............................................................ नाम.............................................................

पद.............................................................

संस्था का नाम..................................................

मुहर.............................................................

**नोट**: यह प्रमाण–पत्र विश्वविद्यालय के डीन आफ स्पोर्टस या इन्चार्ज खेल–कूद द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

---

## प्रारूप–4

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने स्कूल की ओर से राष्ट्रीय खेल–कूद में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिए। डाइरेक्ट्रेट आफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन/निदेशक, शिक्षा, उत्तर प्रदेश......... ...................................................राज्य स्तर की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण–पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.................................................................................. आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री................................................निवासी (पूरा पता)............................. .................................में.....................................................स्कूल में कक्षा................................... के विद्यार्थी ने दिनांक.....................................................से दिनांक.............................................. तक.......................................(स्थान का नाम) में आयोजित स्कूलों के नेशनल गेम्स की.......... ..............................(क्रीड़ा/खेल–कूद का नाम) प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में..................................

........................................................स्कूल की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में.....................................................स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण–पत्र डाइरेक्ट्रेट आफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन्स/शिक्षा में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान..................................................... हस्ताक्षर..............................................................

दिनांक............................................................ नाम.............................................................

पद.............................................................

संस्था का नाम.......................................................

मुहर..............................................................

**नोट:** यह प्रमाण–पत्र निदेशक / या अतिरिक्त / संयुक्त या उप निदेशक, डाइरेक्ट्रेट आफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन / शिक्षा.................................................................................... द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।